



भा0कृ0अ0प0-केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान  
अविकानगर ( मालपुरा जिला टोंक )वाया जयपुर राजस्थान (भारत) 304501  
ICAR- CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE  
AVIKANAGAR (MALPURA DISTT. TONK) RAJASTHAN 304501

स्पीड पोस्ट



फा0सं0: 4(2)प्र0प्रथम/आरटीआई/2018/2237

दिनांक: 07-04-2018

निमित्त,

कु0 भूप्रभा पुत्री श्री चेतन स्वरूप शर्मा,  
निवासी-39, मोतीविहार,  
बाग रोहता, ग्वालियर रोड,  
आगरा (उत्तर प्रदेश) पिन-282009

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के क्रम में ।  
महोदया,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 08/03/2018 के संदर्भ में चाही गयी सूचना का जवाब निम्नलिखित है।

चाही गयी सूचना	चाही गयी सूचना का जवाब
1- आर0टी0आई0 प्रार्थना पत्र दिनांक 09/02/2018 के संबंध में चाही गई 5 सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो कराई जावें।	कु0 भूप्रभा को संदर्भित पत्र दिनांक 09/02/18 के संबंध में चाही गई सूचनाएं आर0टी0आई0 नियमों के अनुसार संस्थान के पत्रांक 4(2)प्र0प्रथम /आरटीआई/2018/1704 दिनांक: 22/03/18 के द्वारा भिजवाया जा चुका है।
2- अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 7/3/2018 में दर्शाये गये बिन्दु क्र0सं0 (अ), (ब) एवं 01 में संदर्भित पत्रों के संबंध में।	उन्हें संस्थान पत्रांक 4(2)प्र0प्रथम/आरटीआई/ 2018/दिनांक: 16/19-02-2018 द्वारा आर0टी0आई0 नियमों के अनुसार जवाब दिया जा चुका है। यदि वह अपीलीय अधिकारी के जवाब से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उच्चाधिकारियों से अपील कर सकती है।
3- बिन्दु क्रमांक 2 में दर्शाया गया है कि 27/3/2017 को श्री दुश्यन्त कुमार शर्मा के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई गई थी जिस पर संस्थान द्वारा कार्यवाही किये जाने के क्रम में।	इस सम्बन्ध में लेख है कि दर्ज एफ0आई0आर0 पर संबंधित पुलिस थाने के द्वारा कार्यवाही की जानी है। बिन्दु क्रमांक 4 के बारे में आपने लिखा है कि भा0कृ0अ0प0 के पत्र दिनांक 14/06/2017 की छायाप्रति प्राप्त हो गई है। अतः स्वतः स्पष्ट है।
4- अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 7/3/2018 के क्रम सं0 5 एवं 6 में दर्शाये गये बिन्दुओं के संबंध में।	श्री दुश्यन्त कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत जवाब की छाया प्रतियाँ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, अविकानगर से प्रमाणित करवाकर पत्र फा0सं0 4(32) Adm.I/06/Vol.IX/908-909 दिनांक 16/19.02.2018 के द्वारा आपके पत्र दिनांक 03/01/2018 के पत्रोत्तर में प्रथम अपीलीय अधिकारी (अद्योहस्ताक्षर) द्वारा भिजवायी जा चुकी है।
5- अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 7/3/2018 के क्रम सं0 3, 7 एवं 8 में दर्शाये गये बिन्दुओं के संबंध में।	तथ्य व्यक्तिगत होने के कारण परिषद् एवं संस्थान निदेशक महोदय द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उन्हें पत्रांक 3(538)ई/2016/प्रशा0-प्रथम/1402/दिनांक: 13/15-03-2018 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जी के द्वारा सूचित किया जा चुका है।

भवदीय,

*sd/*

(डॉ0 अरुण कुमार)

निदेशक

प्रति:-

(1) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, अविकानगर को सूचनार्थ प्रेषित है ।

(2) नोडल ऑफिसर एवं प्रभारी, कृषि ज्ञान प्रबन्धन इकाई को उपर्युक्त सूचनाओं का प्रकाशन संस्थान के लिंक [http://www.cswri.res.in/right\\_to\\_information](http://www.cswri.res.in/right_to_information) पर किये जाने हेतु (ज0सू0अ0 के कार्यालय आदेश क्र0सं01(684)पी0आई0ओ0/2017/117 एवं 118 दिनांक 13/02/2018 एवं परिषद् के F.No.(Admn.)1-1/2018-CR(A)&RTI Dated: 30 Jan, 2018 received through mail के संबंध में)।

*sd/*

निदेशक